

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक.....

विषय:-

राजीव आवास योजना के अधीन मलिन बस्तियों में आवासीय इकाई एवं आधारभूत संरचना हेतु गया फेज-I, पूर्णिया फेज-I एवं कटिहार फेज-I के लिए प्राप्त द्वितीय किस्त केन्द्रांश की के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि पूर्णिया एवं कटिहार के लिए कुल राशि 1311.426 लाख रू० (तेरह करोड़ ग्यारह लाख बेयालीस हजार छः सौ रू० मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन की स्वीकृति।

स्वीकृत्यादेश सं०-⁹⁹ दिनांक-^{15/01/18} के आलोक में राजीव आवास योजनान्तर्गत आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-F.No. N-11027/31/2016/(RAY) HFA-3 (FTS-16019) दिनांक-21.07.16 में विमुक्त द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि गया फेज-I, पूर्णिया फेज-I एवं कटिहार फेज-I हेतु 4719.69 लाख रू० की निकासी स्वीकृत्यादेश सं०-199 दिनांक-25.01.17 एवं आवंटनादेश सं०-200 दिनांक-25.01.17 से राजीव आवास योजना का सामंजन सबके लिये आवास (शहरी) योजना के अधीन किये जाने के फलस्वरूप सबके लिये आवास (शहरी) योजना से की गयी है, अनुपातिक राज्यांश बजट उपबंध के अभाव में गया के लिए 575.82 लाख रू० एवं पूर्णिया के लिए 62.91 लाख रू० (बासठ लाख इकान्वे हजार रू० मात्र) अर्थात् कुल राशि (575.82+62.91) = 638.73 लाख रू० (छः करोड़ अड़तीस लाख तिहत्तर हजार रू० मात्र) की निकासी स्वीकृत्यादेश सं०-264 दिनांक-23.03.17 एवं आवंटनादेश सं०-265 दिनांक-23.03.17 द्वारा की गई है। द्वितीय किस्त केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की अवशेष राशि के संबंध में विवरणी निम्नवत् है :-

(राशि लाख रू० में)

क्र. सं.	नगर निकाय का नाम	प्राक्कलित राशि	कमिटेड केन्द्रांश की राशि (60%)	कमिटेड राज्यांश की राशि (40%)	कुल विमुक्त केन्द्रांश की राशि @80%	विमुक्त केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि @80%	कुल विमुक्त राज्यांश की राशि	आवंटन हेतु राज्यांश की शेष राशि (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गया	7589.80	4344.98	2896.65	3475.99	2317.326	2317.324	0.00
2	पूर्णिया	9393.97	5377.83	3585.22	4302.27	2868.18	2223.208	644.972
3	कटिहार	8841.85	5061.75	3374.50	4049.40	2699.60	2033.146	666.454
								1311.426

2. स्वीकृत राशि 1311.426 लाख रू0 (तेरह करोड़ ग्यारह लाख बेयालीस हजार छः सौ रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-428 दिनांक-31.03.17 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित नगर निकायों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS/PFMS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
3. वित्त विभाग के परिपत्र सं0-7355 वि0 (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में नगर निकायों एवं एजेंसी से प्राप्त होने पर बुडा द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. स्वीकृत राशि 1311.426 लाख रू0 (तेरह करोड़ ग्यारह लाख बेयालीस हजार छः सौ रू0 मात्र) कि निकासी योजना मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217, शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-0319-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217011910319 PFMS code - 1989, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0319.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय में उपबंधित राशि 2587.94 लाख रू0 (पचीस करोड़ सत्तासी लाख चौरानवे हजार रू0 मात्र) से विकलनीय होगी।
6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। राशि व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(जय प्रकाश मंडल)

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-04/RAY-27/14-

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/RAY-27/14-

93

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-15/01/18

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा० मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय:-

राजीव आवास योजना के अधीन मलिन बस्तियों में आवासीय इकाई एवं आधारभूत संरचना हेतु गया फेज-1, पूर्णिया फेज-1 एवं कटिहार फेज-1 के लिए प्राप्त द्वितीय किस्त केन्द्रांश की के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि पूर्णिया एवं कटिहार के लिए कुल राशि 1311.426 लाख रू० (तेरह करोड़ ग्यारह लाख बेयालीस हजार छः सौ रू० मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2017-18 में निकासी की स्वीकृति।

आदेश:-

स्वीकृत।

राजीव आवास योजनान्तर्गत आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-F.No. N-11027/31/2016/(RAY) HFA-3 (FTS-16019) दिनांक-21.07.16 में विमुक्त द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि गया फेज-1, पूर्णिया फेज-1 एवं कटिहार फेज-1 हेतु 4719.69 लाख रू० की निकासी स्वीकृत्यादेश सं०-199 दिनांक-25.01.17 एवं आवंटनादेश सं०-200 दिनांक-25.01.17 से राजीव आवास योजना का सामंजन सबके लिये आवास (शहरी) योजना के अधीन किये जाने के फलस्वरूप सबके लिये आवास (शहरी) योजना से की गयी है, अनुपातिक राज्यांश बजट उपबंध के अभाव में गया के लिए 575.82 लाख रू० एवं पूर्णिया के लिए 62.91 लाख रू० (बासठ लाख इकान्चे हजार रू० मात्र) अर्थात् कुल राशि (575.82+62.91) = 638.73 लाख रू० (छः करोड़ अड़तीस लाख तिहत्तर हजार रू० मात्र) की निकासी स्वीकृत्यादेश सं०-264 दिनांक-23.03.17 एवं आवंटनादेश सं०-265 दिनांक-23.03.17 द्वारा की गई है। द्वितीय किस्त केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की अवशेष राशि के संबंध में विवरणी निम्नवत् है :-

(राशि लाख रू० में)

क्र. सं.	नगर निकाय का नाम	प्राक्कलित राशि	कमिटेड केन्द्रांश की राशि (60%)	कमिटेड राज्यांश की राशि (40%)	कुल विमुक्त केन्द्रांश की राशि @80%	विमुक्त केन्द्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि @80%	कुल विमुक्त राज्यांश की राशि	आवंटन हेतु राज्यांश की शेष राशि (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गया	7589.80	4344.98	2896.65	3475.99	2317.326	2317.324	0.00
2	पूर्णिया	9393.97	5377.83	3585.22	4302.27	2868.18	2223.208	644.972
3	कटिहार	8841.85	5061.75	3374.50	4049.40	2699.60	2033.146	666.454
								1311.426

2. स्वीकृत राशि 1311.426 लाख रू० (तेरह करोड़ ग्यारह लाख बेयालीस हजार छः सौ रू० मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग,

- बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-428 दिनांक-31.03.17 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित नगर निकायों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS/PFMS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
 4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में नगर निकायों एवं एजेंसी से प्राप्त होने पर बुडा द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।
 5. स्वीकृत राशि 1311.426 लाख रू० (तेरह करोड़ ग्यारह लाख बयालिस हजार छः सौ रू० मात्र) कि निकासी योजना मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217, शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-0319-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-48-2217011910319 PFMS code - 1989, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0319.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय में उपबंधित राशि 2587.94 लाख रू० (पचीस करोड़ सत्तासी लाख चौरानवे हजार रू० मात्र) से विकलनीय होगी।
 6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए०सी० विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। राशि व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
 7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
 8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ० सं०-95/टि० पर दिनांक-09.01.2018 को प्राप्त है।
 9. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ० सं०-95/टि० पर दिनांक-09.01.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



ह०/-
(जय प्रकाश मंडल)
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-04/RAY-27/14-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-04/RAY-27/14-

१२

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 11/01/18

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग/ मा० मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/ उप निदेशक, बुडा/ लेखापाल, बुडा/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/ प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11-1-18

सरकार के विशेष सचिव।